an>

Title: Need to include Limbu Tamang Tribes of Sikkim in the list of Scheduled Tribes.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय. सिक्किम में लिम्बू और तवांग दो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 2002 संसद में पास किया गया था, जिसे 8 जनवरी 2003 को अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन जब 2004 में विधान सभा का चुनाव होता है तो उन समुदायों को विधान सभा में आरक्षण नहीं मिलता है, फिर वे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पैटीशन डाली गई और जनवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि गृह मंत्रालय इसे यह एनश्योर करे कि जो अनुसूचित जनजाति लिम्बू और तवांग सिक्किम में हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में चार महीने के भीतर शामिल करें। इसलिए मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से अनुरोध है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और संसद में भी पारित किया गया विधेयक है, वह सिक्किम में लागू किया जाए और तवांग और लिम्बू को अनुसूचित जनजाति को जो विधान सभा में अधिकार दिया जाना चाहिए, वह सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।